11/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के मौजा
छिकड़िया खेड़ी की आराजियात 394,
402, 403, 406, 407, 412, 413 कुल
किता 7 रकबा 4.12 हैक्टर जो कि
में प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान के
कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज है।
मोतजाजरा आराजीयात मौजा के
छिकड़िया खेड़ी रोड से सटी हुई
होकर विपक्षी नं. 1 व 2 का इस
आराजीयात से कोई संबंध सरोकार
नहीं होकर केवल द्वारा प्रार्थीगण
के कब्जे मालिकी की
मुतालिक के प्रवेश आराजीयात में
कार्य प्रारम्भ करवा कर निर्माण
बनवाने पर मकान
की सीमा पर आमदा होकर आराजीयात
पत्थर तोड़कर डाल कर निर्माण कार्य
प्रारंभ करा दिया है व मना
करने पर लड़ाई झगड़ा करने
पर आमदा हो रहे हैं, इसलिए
विपक्षीगण को मूल वाद के
निस्तारण तक इस आशय से
पाबंद फरमाया जावे कि प्रश्नगत
में वर्णित आराजीयात [illegible]
हदूद से कब्जे [illegible]
व निर्माण [illegible] करावे
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala
Rajawat
Date: 2022.12.15 15:31:12 IST
Reason: SelfAttested

की यथास्थिति बनाये रखी जावे। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। विपक्षी नं. 1 की ओर से Y.K. पाण्डेय Adv. ने V.T. दी। परन्तु बाद की पेशी में उपस्थित नहीं होने से विपक्षी नं. 1, 2, 3 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये।

प्रा. पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

प्रा. पत्र का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे है। इस बाबत वकील प्रार्थी ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होते है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र सारहीन होने पर प्रस्तुत किया जाने से खारिज किया जाता [illegible] प्रतीत होता है। [illegible] 212 RTA का [illegible] जाता है।

निर्णय खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर नत्थी की कार्यवाही मूल वाद के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.15 15:31:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर